न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 110/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– बद्रीनारायण पुत्र हमीराराम 2– सुखाराम पुत्र हमीराराम 3– गणेशराम उर्फ गणपतराम पुत्र हमीराराम 4– रामेश्वरलाल पुत्र हमीराराम जाति ब्राह्मण निवासी चाम्पासर तहसील बाप जिला जोधपुर		1– माधुराम पुत्र जगदीश 2– ऊंकारराम पुत्र जगदीश 3– रूघाराम पुत्र जगदीश 4– दुलाराम पुत्र जगदीश 5– अलसीराम पुत्र बींजाराम 6– चेतनराम पुत्र बींजाराम 7– शकरलाल पुत्र गंगाबिशन 8– भूरामल पुत्र गंगाबिशन 9– भगवानाराम पुत्र गंमाबिशन 10–खींयाराम पुत्र हमीराराम जातियान ब्राह्मण निवासी .चाम्पासर तहसील बाप, जिला जोधपुर 11–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–7–2017 जो राजस्व अपील संख्या 17/2017 मे अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अजीत दैया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 10 की ओर से ।
3– श्री नवल सिहं दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 11 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4–7–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष तहसीलदार बाप द्वारा खसरा नंबर सरहद मौजा चाम्पासर तहसील बाप के खसरा नबर 254/1 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि की पैमाईश के लिंए पारित किये गये आदेश दिनांक 10–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2017 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को सारहीन मानते हुए खारीज कर दिया । जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को मनमाने ढंग से खारीज करने मे कानूनी भूल की है तथा यह भी कथन किया कि इस मामले मे तहसीलदार को किसी तरह का सीमांकन या सीमाज्ञान के आदेश पारित करने का अधिकार ही नही था क्योंकि जिस खसरा नंबर 254/1 की पैमाईश एवं सीमाज्ञान हेतु रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र

अति. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

दिया था उस भूमि की नक्शे मे कोई तरमीम की हुई नही थी इसलिए सीमाज्ञान संभव नही था ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार ने सीमाज्ञान का आदेश देने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस नही दिया जबकि विशेषकर खसरा नंबर 254 एवं 254/1 की कोइ तरमीम नक्शे मे नही की हुई थी तो फिर किसी तरह की पैमाईश की कार्यवाही अपीलांट को बिना सुने नही की जा सकती थी । अधीनस्थ न्यायालय पर जिला कलेक्टर फलोदी ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान का आदेश देने से पूर्व राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे की कोई जांच ही नही की । जब हल्का पटवारी ने पूर्व मे ही दिनांक 21–12–2016 को स्पष्ट उल्लेख कर दिया था कि राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 254/1 की कोई तरमीम नही है तथा तरमीम के अभाव मे सीमाज्ञान संभव नही है तो मूल नक्शे मे कोई तरमीम ही नही थी तो बिना तरमीम के सीमाज्ञान का आदेश दिया ही नही जा सकता था परंतु इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना अपीलांट की जो अपील खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि जिस स्थान पर मनमाने ढंग से सीमाज्ञान करवाना बताया गया है उस स्थान पर अपीलार्थी की वर्षो पुरानी ढाणी बनी हुई, जो मौके के हालात से स्पष्ट है इसके बावजुद तहसीलदार ने बिना मौके की जांच किये और रिपोर्ट तलब किये बिना ही आदेश पारित कर दिया । वकील अपीलांट ने खसरा नंबर 254 की भूमि का माप व सीमांकन के आधार पर कोई विभाजन सहखातेदारो के बीच नही हुआ परंतु जिस बंटवाडे को आधार मानकर रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र पेश किया वह बंटवाडा कभी प्रभाव मे आया ही नही । वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब अपीलांट को तथाकथित बटंवाडे के दस्तावेज की जानकारी हुई तो अपीलांट की ओर से सहायक कलेक्टर बाप के न्यायालय मे एक वाद प्रस्तुत कर दिया था जो विचाराधीन है तो वाद के विचाराधीन रहते राजस्व रेकर्ड मे किसी तरह का फेरबदल किया जाना कतई न्यायसंगत नही माना जा सकता है तथा विचाराधीन वाद मे बंटवाडे को चुनोती दे रखी है तथा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि बंटवाडे के दस्तावेज को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे जिस 18–5–93 के बंटवाडे आदेश का उल्लेख किया है, वैसा कोई बंटवाडा कभी हुआ ही नही न ही पत्रावली पर ऐसे किसी बंटवांडे की नकल पेश की गई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेकर्ड का अवलोकन किये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा तहसीलदार बाप का पैमाईश करने बाबत पारित आदेश दिनांक 10–2–2017 एवं अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा प्रथम अपील मे पारित आदेश दिनांक 13–7–2017 को निरस्त करने का

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस एवं प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे कोई विधिक त्रुटि नही की है तथा कथन किया कि ग्राम चाम्पासर के मूल खसरा नंबर 254 के संबंध मे आपसी राजीनामा से पारिवारिक बंटवाडा होने से दिनांक 18–5–1993 को बंटवाडा का नामांतरकरण संख्या 540 भरा जाकर स्वीकृत हुआ था तथा बंटवाडा अनुसार खसरा नंबर 254/1 की 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि रेस्पो0 के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जा काश्त की होने से उक्त भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे मे भूल से नही की जाने के कारण माफिक बंटवाडा उक्त भूमि की नक्शे मे तरमीम का निवेदन किया जिस पर बाद जांच उक्त खसरा नंबर की नक्शा ट्रेस मे तरमीम हो चुकी है तथा यह भी कथन किया कि पारिवारिक बंटवाडे के आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 540 को अब तक चुनौती नही दी गई है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 गण के खसरा नंबर 254/1 माफिक बंटवाडा दिनांक 18–5–93 मे दर्शित पूर्वी तरफ का हिस्सा खसरा नंबर 253 के चिपता हुआ दर्शाया होने से राजस्व नक्शा ट्रेस मे तरमीम की गई है । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण ने उक्त बंटवाडा विलेख दिनांक 18–5–93 को निरस्त करवाने बाबत एक वाद सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है तथा पारिवारिक बंटवाडा आज भी प्रभाव मे है तथा यह भी कथन किया कि विचाराधीन बंटवाडे के दावे के निर्णय से ही हक अधिकारो का निर्धारण होना है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपरिथत राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाप द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत खसरा नंबर 254/1 के सीमाज्ञान करवाने के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बाप द्वारा जारी आदेश दिनांक 10–2–2017 तथा उक्त आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पर उनके द्वारा पारित किये गये निर्णय 13–7–2017 को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त द्वितीय अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । तहसीलदार भू.अ.बाप द्वारा ग्राम चाम्पासर के खसरा नंबर 254/1 रकबा 13.19 बीघा भूमि के सीमाज्ञान बाबत पारित आदेश कमांक/भू.अ/2017/346–47 दिनांक 10–2–2017 के विरूद्ध अपीलांटगण प्रथम अपील अपर जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत की थी तथा अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–7–2017 के विरूद्ध अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है ।

प्रस्तुत अपील मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2017 के अध्ययन एवं पक्षकारो के अधिवक्ताओ की दलीलो व दस्तावेजात के विवेचन अनुसार अपील का मुख्य आधार गलत तरमीम बताया गया है । यदि ... है तो उन्हे तरमीम दुरस्ती हेतु विधिक कार्यवाही

प्रति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

की जानी चाहिये । प्रस्तुत अपील मे तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान/सीमांकन बाबत आदेश पारित किया गया है, जो एक विधिक प्रकिया है तथा खातेदार काश्तकार अपनी कृषि भूमि का नियमानुसार सीमांकन करवाने का अधिकारी है तथा इसी अनुरूप ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमे इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 4–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर